

19.02.2025 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता नुमयपत्र-1

अधिवक्ता उरदहाता में जाहिर किया कि मूल
वाद निर्णित हो चुका है इसलिए आवेदन

में विच्छेद मूवील चलने योग्य नहीं

है। जिस पर अधिवक्ता मूवीलेंट
में लक्ष्य जाहिर करते हुए आपेक्षा

पर हस्ताक्षर किए। लिखपा मूल

वाद निर्णित होने के 212 FTA के

विच्छेद मूवील चलने योग्य नहीं

होने के इसी स्टेज पर खारिज

की जाती है। पत्रावली वैशाल शुभार

नंबर दोकन दोकन नॉड तामिल तक्पील

दाखिल दोकन हो आवेक्षा मुजाया गया

19/2/2025
(भवनीत कुमार)

रामचन्द्र अपील प्राधिकारी
बाहमेर